

## सहमति ज्ञापन (Memorandum Of Understanding)

यह सहमति ज्ञापन (Memorandum of Understanding) आज दिनांक 06 फरवरी सन् 2020 (06.02.2020) को निम्नवत-

प्रथम पक्ष- राजकीय रज़ा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोठी खुसरोबाग, रामपुर  
द्वारा डॉ प्रमोद कुमार वार्ष्णेय, प्राचार्य

एवं

द्वितीय पक्ष- राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मछली भवन, किला, रामपुर  
द्वारा डॉ अतुल शर्मा, प्राचार्य

के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना से दर्ज किया जाता है जहाँ उपरोक्त दोनों पक्ष महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश शासन की राजकीय शिक्षण संस्थाएँ हैं तथा जो निम्न बिंदुओं के अनुसार सहमत है कि-

1. दोनों पक्ष एक दूसरे के परिसर में उपलब्ध भौतिक सुविधाएँ, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं का उपयोग शिक्षा एवं शिक्षार्थियों के हित में कर सकेंगे।
2. दोनों पक्ष आवश्यकतानुसार शैक्षिक, सहशैक्षिक, शिक्षणेत्तर एवं शोध कार्यों में पारस्परिक सहयोग करेंगे।
3. दोनों पक्ष एक दूसरे के बौद्धिक संपदा के अधिकार (Intellectual property right) का सम्मान करेंगे।
4. दोनों पक्षों के आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (Internal Quality Assurance Cell) अपने समन्वयकों के माध्यम से पारस्परिक सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु समन्वय रखेंगे।
5. यह पारस्परिक सहमति ज्ञापन दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों (प्राचार्यों) द्वारा हस्ताक्षरित करने की तिथि से पाँच (05) वर्षों के लिए प्रभावी होगा तथा दोनों पक्षों की लिखित सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
6. सहमति ज्ञापन को समाप्त करने के लिए कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष को ज्ञापन समाप्त करने की तिथि से छः (06) माह पहले सूचित करेगा। ज्ञापन समाप्त करने से पूर्व तत्समय जारी गतिविधियों को पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

दिनांक 06 फरवरी सन् 2020 को दो प्रतिपों में तैयार कर हस्ताक्षरित किया-

वास्ते प्रथम पक्ष,

राजकीय रज़ा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर (30प्र0)

डॉ प्रमोद कुमार वार्ष्णेय

Principal  
Govt. Raza Postgraduate College  
प्राचार्य

वास्ते द्वितीय पक्ष,

राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर (30प्र0)

डॉ अतुल शर्मा

Principal  
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
रामपुर